



# दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF SOUTH BIHAR

(Established by an Act of Parliament)



F.No.CUSB/Acad/9-17/2025/AE-633

दिनांक : 26/03/2026

## अधिसूचना / NOTIFICATION

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुरूप, एतद् द्वारा सभी संबंधितों के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि अब से छात्रों को चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत करने का कार्य कुलानुशासक कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

In pursuance of the approval of the Competent Authority, it is hereby notified for the information of all concerned that the issuance of Character Certificates to students shall henceforth be undertaken by the Office of the Proctor.

यह व्यवस्था, कुलानुशासक तथा छात्र अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित क्रमशः विश्वविद्यालय अध्यादेश-43 और अध्यादेश-44 के प्रावधानों के अनुरूप स्थापित की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी छात्र का चरित्र प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व, उसके अनुशासनात्मक पूर्ववृत्तों का विधिवत सत्यापन कर लिया जाए।

This arrangement is being instituted in consonance with the provisions of University Ordinance-43 and Ordinance-44 relating to the Proctor and student discipline and disciplinary proceedings, respectively, so as to ensure that the disciplinary antecedents of a student are duly verified prior to the issuance of a Character Certificate.

तदनुसार, चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के इच्छुक सभी छात्र अब से अपने आवेदन कुलानुशासक कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

Accordingly, all students desirous of obtaining a Character Certificate shall henceforth submit their applications to the Office of the Proctor.

आवेदन प्राप्त होने पर, कुलानुशासक कार्यालय द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा तथा आवेदक के अनुशासनात्मक पूर्ववृत्तों के विधिवत सत्यापन के उपरांत चरित्र प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के कुलानुशासक के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत किए जाएंगे।

Upon receipt, such applications shall be processed by the Office of the Proctor, and, after due verification of the disciplinary record of the applicant, Character Certificates shall be issued under the signature and seal of the Proctor of the University.

शैक्षणिक अनुभाग द्वारा कुलानुशासक कार्यालय के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए आवेदन के निस्तारण हेतु वांछित शैक्षणिक विवरण एवं अन्य अनिवार्य सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

The Academic Section shall extend necessary coordination and furnish requisite academic particulars to the Office of the Proctor, as may be required for the processing of such applications.

नरेंद्र कुमार राणा

(प्रो. नरेंद्र कुमार राणा)

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: (Copy for information and necessary action to):

1. कुलानुशासक (Proctor), दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय
2. उप कुलानुशासक (Deputy Proctor), सहायक कुलानुशासक (Assistant Proctor) एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board) के सभी सदस्य (Members), दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता (Dean) / विभागाध्यक्ष (Head of Department), दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्रमशः

4. परीक्षा नियंत्रक (Controller of Examinations), दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय
5. शैक्षणिक अनुभाग के उपकुलसचिव (Deputy Registrar)/ सहायक कुलसचिव (Assistant Registrar)/ अनुभाग अधिकारी (Section Officer), दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय
6. सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst), दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु
7. कुलपति सचिवालय (Vice-Chancellor's Secretariat), दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय - माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ
8. कुलसचिव के निजी सचिव (PS to Registrar), दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय
9. सूचना पट्ट (Notice Boards)

*bsmp.*